प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई 20 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः01.10.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01.10.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 20 वर्ष कठोर कारावास एवम् 25,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 571/13 धारा 376घ/323/506 भादवि बनाम राजेश पुत्र संतलाल निवासी ग्वालमण्डी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 01.10.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-16 (पाक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजेश उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376घ/506 भा.द.वि में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 25,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।